26494
वरीय प्रभारी पदाधिकारी

महत्वपूर्ण शाखा

समाहरणालय
26 AUG 2014
मधेपुरा

पत्रांक .... / आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ADM आपदा
All SDMs/BDOs/COs
DAO/DA HQ
26/8/14

प्रेषक,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

सहरसा, सुपौल, पश्चिमी चम्पारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना, नालन्दा, शिवहर, अररिया, गोपालगंज, शेखपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णियां

विशेष जिला पदाधिकारी

दरभंगा

पटना–15, दिनांक–

विषयः **बाढ़ 2014 में राहत कार्यों के त्वरित एवं सुचारू रूप से कियान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

अवगत हैं कि वर्त्तमान में राज्य में बाढ़ आपदा के कारण विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित हुई है एवं मानव क्षति, पशु क्षति, गृह क्षति तथा फसल क्षति भी प्रतिवेदित हुई हैं। साथ ही आधारभूत संरचनाएं विशेषकर राष्ट्रीय उच्च पथ, वृहद जिला पथ एवं ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अतएव यह आवश्यक है कि राहत कार्यो का त्वरित एवं सुचारू रूप से कार्यान्वयन किया जाए।

अतएव सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में निम्नांकित बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित की जाए :

1. **मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान वितरण** – बाढ़ पूर्व तैयारियों के कम में सभी बाढ़ प्रवण जिलों को अनुग्रह अनुदान मद में राशि उपलब्ध कराई गई है। अतएव यदि अभी तक अनुग्रह अनुदान वितरित नहीं किया गया हो, तो अधिकतम 2–3 दिनों में अनुग्रह अनुदान का भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाए। यदि मृतकों की संख्या के मद्देनजर अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो निर्धारित मानदर के आधार पर गणना कर शीघ्र अधियाचना कर लिया जाय।

2. **मुफ्त साहाय्य (Gratuitous Relief) वितरण** – इस मद में प्रभावित परिवारों को 50 कि०ग्रा० गेहूँ एवं 50 कि०ग्रा० चावल तथा 2000 रू० नगद अनुदान प्रत्येक परिवार की दर से दिया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गई पारिवारिक सूची के आधार पर मुफ्त साहाय्य का वितरण कराया जाय। यदि किन्हीं परिवारों के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उनका नाम ग्रामीण विकास विभाग की

सूची में छूट गया हो, तो उनकी जांच कराकर संतुष्ट हो जाने के उपरांत वितरण का आदेश जिला स्तर से दिया जा सकता है।

इस मद में भी राशि पूर्व से बाढ़ प्रवण जिलों को आवंटित है। अतएव बिहार राज्य खाद्य निगम को अग्रिम भुगतान कर अनाज प्राप्त कर लिया जाय। आबंटित राशि का 75 प्रतिशत व्यय होने पर निर्धारित दर के आधार पर गणना कर अतिरिक्त राशि की मांग हेतु अधियाचना विभाग को शीघ्र भेजी जाय। पूर्व में आवंटित राशि को यदि प्रखण्डों/ अंचलों को उप–आवंटित कर दिया गया हो, तो आवश्यकतानुसार उप–आवंटन में संशोधन कर प्रभावित प्रखण्डों/ अंचलों को राशि उपलब्ध कराई जाय।

3. **गृह क्षति का त्वरित आकलन** – समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि महादलित परिवारों के घर बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। फलतः उनके समक्ष आवास की समस्या है। अतएव गृह क्षति का त्वरित आकलन करा लिया जाय एवं निर्धारित मानदर के अनुसार गृह क्षति अनुदान का भुगतान प्रारम्भ कर दिया जाए। यदि इस मद में पूर्व से राशि उपलब्ध न हो तो प्रभावित घरों की संख्या के आधार पर राशि की अधियाचना शीघ्र की जाय।

4. **फसल क्षति का त्वरित आकलन** – फसलों की क्षति का आकलन इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए टीम के द्वारा गाँवों में बैठकें कर शीघ्र कर ली जाय। इसके लिए बाढ़ का पानी उतरने का इंतजार नहीं किया जाय। क्षति के आकलन के पश्चात निर्धारित मानदर के अनुसार आवश्यक राशि की गणना कर कृषि विभाग के माध्यम से अधिकतम दो–तीन दिनों के अन्दर इस मद में राशि की अधियाचना की जाय।

5. **पशु क्षति अनुदान** – मवेशियों के हताहत होने की स्थिति में शीघ्रता से जांच करा कर दुग्धकारी/अदुग्धकारी एवं मुर्गियों तथा पक्षियों आदि के बदलाव के लिए निर्धारित मानदर के आधार पर गणना करके अधियाचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराई जाय एवं राशि प्राप्त होते ही अनुदान वितरित कर दिया जाए।

6. **सड़कों का त्वरित पुनर्स्थापन** – क्षतिग्रस्त सड़कों के त्वरित पुनर्स्थापन हेतु संबंधित विभागों के माध्यम से उनका सर्वेक्षण कराकर प्राक्कलन उक्त विभागों को शीघ्र भेजा जाय।

यदि गाँवों में आवागमन बहाल करने हेतु टूटी ग्रामीण सड़कों को मिट्टी या ईंट से भरवाने अथवा चचरी आदि की आवश्यकता हो तो आबादी निष्क्रमण मद से राशि का उपयोग करते हुए अत्यावश्यक कार्य कराया जा सकता है। राशि की आवश्यकता होने पर अतिरिक्त राशि की अधियाचना भेजी जाय।

7. **वर्त्तन/ वस्त्र अनुदान** – जानकारी प्राप्त हुई है कि बहुत से घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने के कारण अनाज, वर्त्तन एवं वस्त्र नष्ट हो गए हैं। अतएव निर्धारित मानदर के आधार पर प्रभावित परिवारों को बर्त्तन/वस्त्र इस मद में अनुदान शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। जिनके घर गिर गए हैं, उन्हें तो अनिवार्य रूप से इन मदों में अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

उपरोक्तानुसार संचालित राहत कार्यों की सूचना दैनिक प्रतिवेदन (प्रपत्र–1) में अंकित करते हुए भेजा जाए। साथ ही दिनांक 29.08.14 को माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षात्मक बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन के साथ भाग लिया जाय।

साहाय्य मानदर की सूची विभागीय वेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर प्रकाशित है। सुलभ प्रसंग हेतु अद्यतन मानदर की सूची इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, कृषि विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि फसल क्षति का आकलन कराकर कृषि इनपुट अनुदान हेतु राशि की अधियाचना विभाग को शीघ्र भेजी जाए एवं राशि प्राप्त होते ही अनुदान वितरण सुनिश्चित कराया जाए।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3061/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/8/14.

प्रतिलिपिः सचिव/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु वर्तमान मानदर के अनुसार विभाग से राशि की अधियाचना भेजी जाए।

प्रधान सचिव